



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 23619 वर्ष 2026

सम्राट बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी के चेयरमैन, विनोद सागर के माध्यम सेआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गिरिजेश कुमार गुप्ता, शिव शंकर पीडी गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जी.के. गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।

2. यह बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एक अर्जी है, जिसमें सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) (फास्ट ट्रैक न्यायालय)/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ द्वारा शिकायत केस संख्या 2302/2024 (प्रवेश कुमार बनाम सम्राट बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी) में 26-11-2024 को जारी समनिंग ऑर्डर के आधार पर शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला नेगोशिएबल इंडस्ट्रिमेंट्स एक्ट 1881 (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 के तहत है और पुलिस स्टेशन- हापुड़ नगर, ज़िला हापुड़ से संबंधित है तथा सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एफटीसी (फास्ट ट्रैक न्यायालय)/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ की न्यायालय में लंबित है।

3. अर्जी देने वाले के अधिवक्ता ने बताया है कि दूसरी पक्ष संख्या 2 / शिकायतकर्ता ने अर्जी देने वाले के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत 28.08.2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अर्जी देने वाले ने 10 लाख रुपये का लोन लिया था और उसके बाद, 15.05.2024 तारीख वाला चेक संख्या 004417 जारी किया गया था। जब इसे बैंक में पेश किया गया, तो "फंड्स इनसफिशिएंट" (पर्याप्त धनराशि न होने) के कारण यह डिसऑनर हो गया। 30.05.2024 को उक्त चेक फिर से बैंक में पेश किया गया, जो 16.07.2024 को डिसऑनर हो गया। इसके बाद 29.07.2024 को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया, जो 31.07.2024 को प्राप्त हुआ। फिर 28.08.2024 को शिकायत दर्ज की गई और 26.11.2024 को अर्जी देने वाले को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत समन जारी किया गया।

4. 28.11.2024 के समनिंग ऑर्डर (बुलाने के आदेश) को चुनौती देते हुए यह आवेदन दायर किया गया है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, खासकर इसलिए क्योंकि आवेदक के अनुसार, उसे एक दूसरे आपराधिक मामले में न्यायालय के 20.05.2024 के आदेश के तहत जेल में रखा गया था और 16.09.2025 को उसे जमानत पर रिहा किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. यह तर्क दिया गया है कि शिकायत और समन जारी करने के आदेश में यह बात गलत और झूठी है कि चेक बाउंस होने के बाद नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जब आवेदक जेल में था, तो कानूनी नोटिस भेजने का सवाल ही नहीं उठता; और आवेदक के अनुसार, शिकायत में यह कहना कि चेक को दोबारा 16.07.2024 को पेश किया गया था, असल में देरी की बाधा को दूर करने की एक कोशिश मात्र है। तर्क यह है कि NI एक्ट की धारा 138 के तहत कोई भी अपराध नहीं बनता है।

7. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि आवेदक जो भी मुद्दे उठाना चाहता है, वे बचाव पक्ष से जुड़े मामले हैं, जिन पर विचार तभी किया जाएगा जब विचारण शुरू होगा।

8. मैंने वकीलों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

9. ज़ाहिर है, एक चेक जारी किया गया था जो 30.05.2024 को बाउंस हो गया। चेक को दोबारा पेश किया गया, जो फिर से बाउंस हो गया और एक नोटिस जारी किया गया। यह सवाल कि क्या आवेदक जेल में था या नहीं और क्या नोटिस उसे मिला या नहीं, विचारण का मामला है जिस पर इस स्टेज पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत पहले से ही एक धारणा मौजूद है। फिर भी, कार्यवाही का सामना करना और सभी कानूनी और तथ्यात्मक दलीलें पेश करना आवेदक की ज़िम्मेदारी है; और अगर उसने ज़मानत के लिए अर्जी नहीं दी है, तो वह ज़मानत की मांग कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. जहाँ तक आवेदक के अधिवक्ता की इस दलील का सवाल है कि चेक आवेदक विनोद कुमार सागर ने 'सम्राट बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज़' के लिए जारी किया था, तो शिकायत 'सम्राट बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज़' को पक्षकार बनाते हुए ही दर्ज की गई थी।

11. न्यायालय की राय में, जैसा कि पेज 58 (जो कि फॉर्म जीएसटी पंजीकरण-06 है) से साफ़ है, 'सम्राट बिल्डर्स एंड एसोसिएट' एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और चूँकि यह एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसलिए चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म को पक्ष बनाया जाए या प्रोप्राइटर को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **'धनासिंह प्रभु बनाम चंद्रशेखर' (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5706 of 2024, फैसला 14.07.2025)** के मामले में तय किए गए कानून के अनुसार, यहाँ कंपनी वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा।

12. इसलिए, हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है, और आवेदक को यह छूट दी जाती है कि वह सभी कानूनी और तथ्यात्मक दलीलें पेश करते हुए मुकदमे का सामना करे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

एन.एस.राठौर